1. प्रस्तावना

1.1 सिक्किम विश्वविद्यालय की वित्त समिति की तीसरी बैठक दिनांक 09.11.2009 को 1000 बजे होटल तक्शांग रेजिडेंसी, गंगटोक में आयोजित हुई ।

1.2. निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

नाम एवं पदनाम		
1.	प्रो. महेन्द्र पी.लामा, उप कुलपति, सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	अध्यक्ष
2.	श्री आर डी सहाय, निदेशक (सी यू) भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
3.	श्री अर्जुन स्यांग्देन पूर्व प्रधान मुख्य वन्य संरक्षक,	सदस्य
4.	श्री टी पी कोइराला, वित्त सचिव (स्थानापन्न) सिक्किम सरकार, गंगटोक	सदस्य
5.	श्री पी वी रवि, वित्त अधिकारी सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	सचिव

1.3 निम्नलिखित सदस्य कार्यालयी अनिवार्यता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके:

1.	डा0 (श्रीमति) रेणु बत्रा, संयुक्त सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली	सदस्य
2.	श्री एस. मोहन निदेशक(वित्त) मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री एम.पी. बेजबरूआ, अवैतनिक निदेशक, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, नई दिल्ली - 110016	सदस्य

1.4 अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि श्री आर डी सहाय बैठक में श्री अमीत खरे का प्रतिनिधित्व कर रहें हैं । उन्होंने यह भी सूचित किया कि अन्य तीन सदस्य अपनी कार्यालयी अनिवार्यता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सके उन्हें अनुपस्थिति हेतु छुट्टी प्रदान की गई है । तत्पश्चात अध्यक्ष ने समिति को दिनांक 28.05.2009 को आयोजित वित्त समिति की गत बैठक के बाद विभिन्न शैक्षाणिक दायरे में विश्वविद्यालय द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त परिचय दिया । अध्यक्ष ने सदस्यों का उनके सतत समर्थन एवं विश्वविद्यालय को मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया, जिसके बिना इतनी प्रगति हासिल नहीं की जा सकती थी। अध्यक्ष ने समिति सदस्यों का इस नए वृद्धिशील विश्वविद्यालय के प्रभावकारी वित्तीय प्रबंधन के लिए उनके नवेन्मेष सुझावों एवं निरंतर सर्मथन का आग्रह किया ।

1.5 तत्पश्चात कार्य सूची मदों पर विचार विमर्श के साथ बैठक आरंभ हुई ।

एफ सी: 03:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में शांति स्थापित करने को कहा जाना

कार्यवृत्त

3.1.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन में शांति व्यवस्था बनाने को कहा ।

एफ सी:03:02	मृत्यु संवाद सूचना

कार्यवृत्त

3.2.1 सदन के समक्ष निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निधन की सूचना दी गई:

i. श्री टाशी टोप्देन, पूर्व अपर मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
ii. श्री टी. डब्लयू बारफूंग्पा, सचिव, पशुपालन, सिक्किम सरकार
iii. श्री प्रेम सागर निराश, पत्रकार
iv. श्री मन बहादुर गुरूंग, प्रख्यात लेखक
v. श्री सोनम शेर्पा, प्रसिद्ध कलाकार
vi. श्री चंदन सिंह रावत, प्रसिद्ध ओलम्पियाड
vii. डॉ0 (श्रीमति) कमला सान्कृत्यायन, पूर्व सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग/लेखक एवं स्व. राहुल सांस्कृत्यायन की धर्मपत्नि

3.2.2 सदन ने गहरे शोक के साथ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन सूचना को नोट किया तथा मृतात्मा के प्रति आदर एवं श्रद्धांजली के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया । परिषद द्वारा संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की गई ।

एफ सी:03:03	उपकुलपति की टिप्पणियां

3.03.1 उपकुलपति ने कार्यकारी परिषद की गत बैठक से अब तक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यनिष्पादन एवं गतिविधियों का उल्लेख करते हुए समग्र पावर प्वइंट प्रस्तुतीकरण दिया (अनुलग्नक 3 एफ सी एम -1) सदन ने इसके समक्ष उठाइ गई बिंदुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया तथा निष्पादन विशिष्टताओं को प्रशंसनीयता के साथ नोट किया ।

एफ सी:03:04	वित्त समिति की दिनांक 28.05.2009 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

3.04.1 समिति ने कार्यवृत्त की अंर्तवस्तु के परीक्षण पश्चात इसकी पुष्टि कर ली (अनुलग्नक3 एफ सी एफ 2) । समिति ने सुझाव भी दिया की भविष्य में एफ सी बैठक कार्यसूची में तत्काल गत बैठक के कार्यवृत्त अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया जाए, ताकि विचार-विमर्श एवं निर्णय सुविधाजनक हो सके ।

एफ सी:03:05	वित्त समिति की दिनांक 28.05.2009 को आयोजित गत बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

3.05.1 समिति ने इनके समक्ष प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट का परीक्षण किया तथा इसकी पुष्टि की । **(अनुलग्नक 3 एफ सी एम- 3).**

एफ सी:03:06	वार्षिक लेखाओं तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुमोदन

कार्यवृत्त

3.06.1 सदन में प्रस्तुत वर्ष 2008 - 09 हेतु वार्षिक लेखाओं एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया **(अनुलग्नक 3 एफ सी एम- 4)** । सदन ने नोट किया कि लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र "ड्राफ्ट लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र" के रूप में उल्लेखित है तथा सचिव को अंतिम लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया गया । सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा भरत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए प्रत्युत्तर पर भी विचार किया एवं इसे नोट किया ।

3.06.2 तत्पश्चात सदन ने उपरोक्त अभ्युक्तियों के साथ लेखाओं हेतु कार्योत्तर अनुमोदन दिया ।

एफ सी:03:07	संशोधित प्राक्कलन 2009-10 एवं बजट प्राक्कलन 2010-11 का कार्यवृत्त

कार्यवृत्त

3.07.1 सदन में संशोधित प्राक्कलन 2009-10 एवं बजट प्राक्कलन 2010-11 पर विस्तृत विचार किया **(अनुलग्नक 3 एफ सी एम- 4)** । सदन ने नोट किया की संशोधित प्राक्कलन 2009-10 के मामले में इसके एवं बजट प्राक्कलन 2009-10 के बीच बहुत अधिक विचलन है । सचिव ने सदन को बतलाया कि विश्वविद्यालय के नए एवं वृद्धिशील होने के कारण बहुत से मामले में वास्तविक प्रक्षेपण/ भविष्यति संभव नहीं होता है सदन ने सलाह दिया कि बजट

प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन के बीच विचलन न्यूनतम रखा जाए। इस ने यह भी सलाह दिया कि जहां कहीं एक यूनिट के विनियोजन से अन्य में आवंटन के विनियोजन की आवश्यकता हो विश्वविद्यालय इसे समय पर करें। सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय गंगटोक में भूमि अधिग्रहण करने के लिए अनंतिम बजट बनाएं तथा इसे बजट प्राक्कलन में संलग्न करें। सदन ने गंगटोक में भूमि अधिग्रहण के लिए एक समिति के गठन का सुझाव दिया, जिसमें कम से कम एक सदस्य शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति, कार्यकारी परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से हो। यह भी की समिति में 1 सदस्य सिक्किम सरकार के पी डब्ल्यू डी एवं भूमि राजस्व विभाग से लिया जा सकता है । सदन में चिंता व्यक्त की कि यांग्यांग में भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण सिक्किम विश्वविद्यालय हेतु चिह्नित निधि यूजीसी द्वारा अन्य विश्वविद्यालयों को आवंटित किया जा सकता है। विलंब के परिणाम स्वरुप लागत-अतिवृद्धि एवं परियोजना हेतु समय-अतिवृद्धि हो सकती है सदन द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया गया की यू जी सी ने गंगटोक में भूमि अधिग्रहण हेतु रुपये 300 लाख तथा रूपये यह 50 लाख उस पर भवन निर्माण हेतु XI योजना के दौरान आवंटित था ।

3.07.2 उपरोक्त अभियुक्तियों के साथ सदन में उनके समक्ष प्रस्तुत संशोधित प्राक्कलन 2009-10 एवं बजट प्राक्कलन 2010-11 स्वीकार किया ।

एफ सी:03:08	विश्वविद्यालय की अर्धवार्षिक लेखाएं

कार्यवृत्त

3.08.1 सदन ने विश्वविद्यालय के दिनांक 30 नवंबर 2009 को समाप्त अर्धवार्षिक लेखाओं **(अनुलग्नक 3 एफ सी एम-6)** पर विचार किया तथा इसे नोट किया । सदन में अपनी प्रशंसा भी अभिलिखित करवाया कि उपलब्ध मानव संसाधनों की सीमा में विश्वविद्यालय का वित्त स्कंध बकाया रहित लेखाओं के रख-रखाव में योग्य रहा।

3.08.2 सचिव ने बताया कि चूंकी विश्वविद्यालय ने लेखाओं की स्वचालित किया है एवं कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है, अतः लेखाओं की पोस्टिंग इसी के माध्यम से की जाती है । यह विश्वविद्यालय को लेखाओं के अद्यतन रखने में सहायता करता है।

3.08.3 सदन ने सुझाव दिया कि भविष्य में अव्ययित शेष की स्थिति को भी कार्यसूची मद के रुप में रखा जाए, ताकि समिति स्वत: स्थिति का संज्ञान ले सके । सचिव ने आश्वासन दिया कि अगली बैठक में इसे किया जाएगा।

3.08.4 उपरोक्त नोटिंग के साथ सदन में 30 नवंबर 2009 को समाप्त अवधि हेतु अर्धवार्षिक लेखाओं का अनुमोदन किया

एफ सी:03:09	सिक्किम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य देखभाल योजना (एस यू एच सी)

संक्षिप्त में कार्यसूची मद

3.09.1 सिक्किम विश्वविद्यालय के पास कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए कोई स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा नहीं है। दूरस्थ स्थान होने के कारण यहां मौलिक चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, जो कि मैदानी भाग में आसानी से उपलब्ध है, उपकुलपति ने सिक्किम मणिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के उपकुलपति से एक स्वास्थ्य देखभाल प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया है। सिक्किम मणिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान गंगटोक में उपलब्ध सर्वोत्तम अस्पताल है तथा यह सिक्किम सरकार एवं कर्नाटक के मणिपाल समूह के बीच संयुक्त उद्यम है। उपरोक्त विमर्श के परिणाम स्वरुप एस एम आई एम एवं आईसीआईसीआई लोंबार्ड के संयोजन में छात्रों एवं कार्मिक सदस्यों (कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों सहित) के लाभार्थी "सिक्किम विश्वविद्यालय स्वास्थ्य देखभाल योजना" नामक योजना अस्तित्व में आई। सिक्किम विश्वविद्यालय में दिनांक 30-09-2009 तक हमारे पास 96 छात्र (जिनमें से 86 दैनिक छात्र हैं) तथा 62 कार्मिक सदस्य हैं। यद्यपि शिक्षण एवं गैर शिक्षण दोनों में से 90% कार्मिकों से अधिक संविदा पर हैं, सिक्किम विश्वविद्यालय के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह संस्थान के हित में उचित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध करवाएं।

3.09.2 इस योजना में निम्न सारणी के अनुसार अंत: मरीज एवं बाह्य मरीज उपचार व्याप्त होंगे।

	छात्र		कर्मचारी	
उपचार का प्रकार	दैनिक छात्र	छात्रावासी	स्वयं	परिवार
Inpatient	नहीं	हां	हां	हां
Outpatient	हां	हां	हां	हां

3.09.3 बाह्य मरीज उपचार हेतु सिक्कम विश्वविद्यालय सभी छात्रों एवं कार्मिकों को सिक्किम मणिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान से (एस एम आई एम) से रू0 10/- प्रति कार्ड की दर से पंजीकरण कार्ड उपलब्ध करवाएगा, जोकि छ: माह के लिए वैध होगा।

3.09.4 बाह्य मरीज के उपचार प्रदान करने के लिए एस एम आई एम प्रति कंसल्टेशन प्रतिबार रू0 10/- प्रभारित करता है। इसके लिए सिक्किम विश्वविद्यालय के रूपये 25000/- लगभग अथवा अधिक राशि एस एम आई एम के साथ एक समूह निधि जमा करेगा। एस एम आई एम इसमें परामर्श प्रभार के रूप में समायोजन करेगा तथा आवधिक रूप से पुनःपूर्ति हेतु अनुरोध करेगा।

3.09.5 औषधी/चिकित्सकीय जांच आदि के संबंध में एस एम आई एम वास्तविक आधार पर सिक्किम विश्वविद्यालय को समूह निधि से प्रभारित करेगा।

3.09.6 अंतः मरीज हेतु एस एम आई एम द्वारा यथा परामर्श सिक्किम विश्वविद्यालय आईसीआईसीआई लोंबार्ड से समूह स्वास्थ्य पॉलिसी हेतु व्यवस्था करेगा। छात्रों, कर्मचारियों एवं परिवारों की उम्र आदि जनसंख्यकी पर आधारित लोंबार्ड द्वारा नीचे प्रीमियम उद्धृत किया गया है:

3.09.7 कार्मिक सदस्यों (आश्रित सहित) एवं छात्रावासी हेतु

प्रिमियम परिकलन पत्र		
		रू0
मूल प्रिमियम		**223,733**
घटायें:चलायमान छूट	-3%	(6,712)
जोड़ें: मातृत्व लाभ विस्तार	10%	-
जोड़ें: पी इ डी लोडिंग	10%	22,373
जोड़ें: 9 माह प्रतीक्षा अवधि सहित मातृत्व	5.00%	11,187
सकल प्रिमियम		**250,581**
ब्रोकेज सहित	12.50%	31,323
ब्रोकेज सहित प्रिमियम(12.5%)		281,903
जोड़ें: सेवा कर	10.30%	29,036
कुल भुगतान योग्य मियम		**310,939**

3.09.8 छात्रों के लिए (दैनिक छात्र)

प्रिमिय परिकलन पत्र		
		रू0
मूल प्रिमियम		**77,105**
जोड़ें:मातृत्व	**15%**	**11,566**
सकल प्रिमियम		**88,671**
ब्रोक्रेज सहित	12.50%	11,084
ब्रोक्रेज सहित प्रिमियम(12.5%)		99,755
जोड़े : सेवा कर	10.30%	10,275
कुल भुगतान योग्य प्रिमियम		**110,029**

3.09.9 उपरोक्त प्रीमियम दरों का परिकलन कार्मिकों (परिवार सहित) एवं छात्रावासी छात्र हेतु रू0 3 लाख व्याप्ति के मापदंड पर एवं प्रत्येक दैनिक छात्र के लिए रूपये 1 लाख व्याप्ति हेतु किया गया है। हम लोगों ने ICICI से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया है कि उपरोक्त प्रीमियम में रु0 3 लाख की समग्र सीमा के अंतर्गत परिवार भी व्याप्त है। उनकी पुष्टि अपेक्षित है जिसे दिनांक 10 अक्टूबर 2009 के पूर्व हमें अग्रेषित किया जाएगा।

3.09.10 आकलित सारंशीकृत वित्तीय बाह्यप्रवाह प्रतिविषर् निम्नरूप में होगा:

- ≈ बीमा पॉलिसी हेतु – **Rs.4.22 Lakh**
- ≈ समूह निधि - **Rs.1.00 Lakh**
- ≈ पंजीकरण आदि - **Rs.0.05 Lakh**

≈ औषधी आदि(ओ पी डी) - **Rs. 1.00 Lakh**

कुल **Rs.6.27 Lakh**

कार्यवृत्त

3.09.11 सदन ने उनके समक्ष प्रस्तुत मद पर सावधानी पूर्वक विचार किया । सदन ने जानना चाहा कि स्वास्थ्य देखभाल पैकेज प्रदान करने के लिए बीमा कंपनी की पहचान किस प्रकार की गई है । उत्तर दिया गया कि ICICI की सिक्किम मणिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के साथ पूर्व से ही व्यवस्था है, तथा यह गंगटोक में बहुत से स्वशासी सरकारी स्थानों को स्वास्थ्य देखभाल व्याप्ती प्रदान कर रहा है।

3.09.12 इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत होने के पूर्व सदन ने अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान करने वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जानना चाहा तथा सचिव को इस संबंध में पूर्ण विवरण प्रस्तावित स्वास्थ्य देखभाल योजना के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

एफ सी:03:10	छात्रों के प्रति वित्तीय सहायता पर अध्यादेश

कार्यवृत्त

3.10.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत ड्राफ्ट अध्यादेश पर विस्तृत विचार किया (अनुलग्नक 3 एफ सी एम -7) तथा इसकी कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदनार्थ अनुशंसा किया ।

एफ सी:03:11	छात्र कल्याण निधि के उपभोग हेतु मानदंड

संक्षिप्त में कार्यसूची

3.11.1 सिक्किम विश्वविद्यालय प्रति छात्र रू0 200 का संग्रहण छात्र कल्याण निधि के प्रति करता है । इसमें करीब 3000 छात्र हैं जिनसे अब तक यह निधि संग्रह की गई है। छात्रों का वितरण भिन्न महाविद्यालय में भिन्न भिन्न है एवं सिक्किम सरकारी महाविद्या, तादोंग में उपरोक्त में से आधे छात्र हैं । विश्वविद्यालय को अंगीभूत महाविद्यालयों से महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु कथित निधि से सहायता उपलब्ध करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है । विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों से सुझाव आमंत्रित किया है कि उक्त निधि का छात्रों के लाभ हेतु किस प्रकार सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है । अब तक प्राप्त हुए सुझावों का एक समिति द्वारा परीक्षण किया गया है तथा समिति की अनुशंसा सदन में प्रस्तुत है।

कार्यवृत्त

3.11.2 सदन ने अनुशंसाओं का परीक्षण किया (अनुलग्नक 3 एफ सी एम - 8) तथा विश्वविद्यालय द्वारा विनियमावली का मसौदा तैयार करने की अनुशंसा की ।

एफ सी:03:12	महाविद्यालयों से अंगीभूतिकरण शुल्क प्रभारित करने का अध्यादेश

कार्यवृत्त

3.12.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत अध्यादेश पर विचार किया (अनुलग्नक 3 एफ सी एफ -9) एवं कार्यकारी परिषद द्वारा इन पर विचार एवं अनुमोदन हेतु अनुशंसा किया ।

एफ सी:03:13	सांविधिक अधिकारियों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता

कार्यवृत्त

3.13.1 सदन ने मद पर सावधानीपूर्वक विचार किया । यह पूछा गया कि क्या अन्य विश्वविद्यालयों में टी टी ए हेतु ऐसी सुविधा सांविधिक अधिकारियों को देय है । इसके लिए अध्यक्ष ने बतलाया कि सिक्कि एक दुर्गम अवस्थान होने के कारण यह बेहतर होगा कि सांविधिक अधिकारियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ताकि साधन संपन्न एवं व्यवसायिक रूप से प्रतिबद्ध व्यक्ति विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने को इच्छुक हों ।.

एफ सी:03:13	सांविधिक अधिकारियों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता

संक्षिप्त में कार्यसूची विषय

3.14.1 दिनांक 28.05.2009 को आयोजित अपनी गत बैठक में वर्ष 2009-09 हेतु अंतिम च्श्श् बपसम बजट प्राक्कलन पर विचार एवं संपुष्टि के लिए मद संख्या एफ सी:02:10 पर विचार करते हुए समिति ने निदेश दिया था कि प्रस्तावों को इनके समक्ष भारत सरकार के वित्तीय शक्ति नियमावली के प्रत्यायोजन के अनुसार बजटीय शीर्षों के बीच निधियों के पुर्नविनियोजन हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्यावर्त्तन पुर्नप्रस्तुत किया जाए । उपरोक्त निदेशानुसार निम्नलिखित कार्यसूची मद समिति के विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है ।

"नियम 10

विनियोजन एवं पुनर्विनियोजन–सामान्य प्रतिबंध

1) निधियों का विनियोजन एवं पुनर्विनियोजन उस व्यय के लिए नहीं किया जाएगा, जिन्हें इसे स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो ।
2) एक अनुदान से कोई पुनर्विनियोजन नहीं होगा अथवा दूसरे अनुदान के प्रति प्रभारित व्यय हेतु विनियोजन नहीं होगा अथवा प्रभारित व्यय हेतु कोई विनियोजन नहीं होगा ।
3) निधियों का विनियोजन अथवा पुनर्विनियोजन किसी नई सेवा अथवा सेवा के नए उपकरण पर व्यय की पूर्ति हेतु नहीं होगा, जिसे संसद द्वारा यथा अनुमोदित बजट में विचार नहीं किया गया है ।

4) कार्यों पर व्यय निम्नलिखित अगली शर्तों पर होगा, नामत:-

a) निधियां किसी ऐसे कार्य के प्रति विनियोजित अथवा पुनर्विनियोजित नहीं किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

b) किसी कार्य के प्रति विनियोजित राशि, वित्त मंत्रालय से पूंव सहमति प्राप्त को छोड़कर, उस कार्य हेतु अनुमोदित अथवा स्वीकृत राशि से उस सीमा से बढ़कर अतिक्रमण नहीं करेगा, जिसे कि खंड*(क)* में संदर्भित नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत किया जा सकता हो *:*

बशर्ते कि एसी सहमति उस स्थिति में आवश्यक न होगी, जब कि अन्य विनियोजन कार्य के अंतर्गत बचत उपलब्ध हो, जिसे प्राधिकृत सीमा से 15 प्रतिशत उपर के अतिक्रमित व्यय को व्याप्त करने के लिए निधियों को पुनर्विनियोजित किया जा सके ।"

3.14.2 उपरोक्त प्रावधानों के अनुरूप पुनर्विनियोजन हेतु शक्तियों का निम्नलिखित प्रत्यायोजन वित्त समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तावित है ।

3.14.3 सिक्किम विश्वविधालय अधिनियम, 2006 के प्राथमिक सांविधि की धारा 17 के अंतर्गत इसमें निहित शक्तियों के अनुसार, वित्त समिति एतद्द्वारा उपकुलपति के प्रति निधियों के पुर्नविनियोजन एवं आवंटन के अतिक्रमण में अति व्यय खर्च करने के संबंध में शक्तियों का निम्नलिखित प्रत्यावर्तन करती है:

3.14.4 प्रत्यायोजन:

उपकुलपति को लेखा के एक शीर्ष से दूसरे में आवंटन के 15% तक निधि पुनर्विनियोजन करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जाता है । उपकुलपति आवंटन के 15% तक व्यय के अतिक्रमण में के उपर खर्च करने के लिए भी शक्ति संपन्न होंगे । व्यय के किसी अतिक्रमण में 15% से ऊपर खर्च अथवा पुनर्विनियोजन के लिए वित्त समिति एवं कार्यकारी समिति का अनुमोदन आवश्यक है । उपकुलपति को उपरोक्त शक्तियों का प्रत्यायोजन इस अनुबद्धता की शर्त पर होगी कि पुनर्विनियोजन पूंजी एवं राजस्व लेखाशीर्षों के मध्य नहीं किया जाएगा ।

कार्यवृत्त

3.14.5 सदन ने मद पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए प्रस्तावित शक्तियों का प्रत्यायोजन अनुमोदित किया।

एफ सी:03:15	अध्य की अनुमति से अन्य कोई विषय

3.15.1 कोई अन्य विषय विचारार्थ नहीं उठाए जाने के कारण अध्य   महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित की गई ।

हस्ताक्षरित/-
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी एवं
पदेन सचिव, वित्त समिति